राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 14 मई, 1980

क्रमांक **548-ज(I)-80/17258.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती हर कौर, विधवा श्री बिन्दा सिंह, गांव लोटों, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 20 मई, 1980

क्रमांक **707-ज(I)-80/17783.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री चिरंजी लाल, पुत्र श्री श्योनाथ, गांव मुंडिया खेड़ा, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला नारनौल, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली, युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **786-ज(I)-80/17793.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, (1948) जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम नारायण, पुत्र श्री गोपाल, गांव नोताना, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला नारनौल, को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **654-ज(I)-80/17797.**—श्री मूला राम, पुत्र श्री भूरु राम, गांव चिड़ोद, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, की दिनांक 7 जनवरी, 1979 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मूला राम की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 152-न-I-76/5568, दिनांक 24 फ़रवरी, 1976 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती बाली के नाम खरीफ, 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **677-ज(I)-80/17801.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चतर वाई, विधवा श्री भगवान सिंह, गांव देवसर, तहसील व जिला भिवानी, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 26 मई, 1980

क्रमांक **731-ज-I-80/18435.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के नाम के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं:—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पाम	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	भिवानी	श्री मातु सिंह, पुत्र श्री मान सिंह	बोन्दकलां	दादरी	खरीफ़, 1976 से खरीफ़, 1979 तक	150
					रबी, 1980 से	300

1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
2	भिवानी	श्री उमराव सिंह, पुत्र श्री श्यो चन्द	माण्डीहरिया	दादरी	रबी, 1973 से खरीफ़, 1979 तक	150
					रबी, 1980 से	300

क्रमांक **724-ज-(I)-80/18443.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गोरधन सिंह, पुत्र तोता राम, गांव गोदड़ा टप्पा खोरी, तहसील रिवाड़ी, जिला नारनौल, को खरीफ़, 1965 से रबी, 1380 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 26 जून, 1980

क्रमांक **902-ज-I-80/22003.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बनी सिंह, पुत्र श्री जसवन्त सिंह, गांव रतेरा, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, को खरीफ़, 1974 से खरीफ़, 1975 तक 150 रुपये वार्षिक, रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

रघुनाथ जोशी,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

The 1st July, 1980

No. 4/156/B&R(E)-(1)-80.—In pursuance of Rule 9 of the Punjab Service of Engineers, Class II, P. W. D., Buildings and Roads Branch, Rules, 1965, the Governor of Haryana in consultation with the Haryana Public Service Commission is pleased to declare Shri J. K. Aggarwal, officiating Sub-Divisional Engineer (Electrical), suitable for promotion and to appoint him to Haryana Service of Engineers, Class II, P. W. D., Buildings and Roads Branch.

H. V. GOSWAMI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
P.W.D., B. & R. Branch.

FISHERIES DEPARTMENT

The 16th May, 1980

No. 2635-AH-I-80/6695.—The result of the Departmental Examination in Departmental Rules, held in February, 1980, is declared as under :—

Serial No.	Roll No.	Name and Designation	Remarks
1	891	Shri Mohinder Singh, Fish Farm Manager, Sohna (District Gurgaon)	Pass with Credit
2	892	Shri Mittar Dev, F.D.O., Jind	Pass with Credit